एस.	तिथि	कार्यालय टिप्पणी	न्यायालय या न्यायाधीश के आदेश
एल.	1(119	संख्या	्यायाराय या ग्यायाधारा म आपरा
901.		रिपोर्ट, आदेश	
		·	
		या कार्यवाही या	
		दिशाएँ	
		और निबंधक	
		के साथ आदेश	
		हस्ताक्षर के साथ	
			ए. आर. बी. ए. पी. संख्या 51 सन 2023
			<u>माननीय मनोज कुमार तिवारी, ए. सी. जे.</u>
			श्री सिद्धार्थ साह, अपीलकर्ता के लिए
			अधिवक्ता ।
			2. श्री अतुल भट्ट, भारत संघ/प्रत्यर्थीगण के
			स्थायी वकील ।
			3. आवेदकों ने मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए
			मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा
			11 (6) के तहत यह आवेदन दायर किया है।
			आवेदक संख्या 1 का स्वामित्व आवेदक संख्या 2
			के स्वामित्व में है। आवेदकों के अनुसार आवेदक नं
			1 को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वर्ष 2017 में
			चारदीवारी के निर्माण का ठेका दिया गया था।
			अनुबंध की सामान्य शर्तें मध्यस्थता आवेदन के
			अनुबंध 3 के रूप में संलग्न की गई हैं, जिसमें पैरा
			संख्या 70 में मध्यस्थता खंड शामिल है, जो नीचे
			लिखा है:
			"70. मध्यस्थताः अनुबंध के पक्षकारों के बीच
			सभी विवाद (उन विवादों को छोड़कर जिनके लिए
			सी.डब्ल्यू.ई. या किसी अन्य व्यक्ति का निर्णय
			अनुबंध द्वारा अंतिम और बाध्यकारी माना जाता
			है), अनुबंध के किसी भी पक्ष द्वारा उनमें से दूसरे
			को लिखित नोटिस के बाद, निविदा दस्तावेजों में
			उल्लिखित प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किए जाने वाले
			एक इंजीनियर अधिकारी की एकमात्र मध्यस्थता
			को संदर्भित किया जाएगा।
			जब तक दोनों पक्ष लिखित रूप में सहमत न हों

ऐसा संदर्भ तब तक नहीं होगा जब तक कार्य पूरा होने या कथित तौर पर पूरा होने या शर्त संख्या 55, 56 और 57 के तहत अनुबंध की समाप्ति या निर्धारण नहीं हो जाता।

बशर्ते कि 52,53 या 54 की शर्त के तहत कार्यों को छोड़ने या अनुबंध को रद्द करने की स्थिति मे, ऐसा संदर्भ तब तक नहीं होगा जब तक कि सरकार द्वारा किसी अन्य ठेकेदार या ठेकेदार या एजेंसी या एजेंसियों द्वारा या उनके माध्यम से कार्यों को पूरा करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाओं को अंतिम रूप नहीं दिया जाता है।

बशर्ते कि इसके तहत या अन्यथा किसी भी मध्यस्थता कार्यवाही का प्रारंभ या निरंतरता किसी भी तरह से ठेकेदार से वसूली के सरकार के अधिकार के खिलाफ नहीं होगी जैसा कि इसकी शर्त 67 में प्रदान किया गया है।

यदि नियुक्त मध्यस्थ अपनी नियुक्ति से इस्तीफा दे देता है या अपना कार्यालय खाली कर देता है या किसी भी कारण से कार्य करने में असमर्थ या अनिच्छुक होता है, तो उसे नियुक्त करने वाला प्राधिकारी उसके स्थान पर कार्य करने के लिए एक नया मध्यस्थ नियुक्त कर सकता है।

यह माना जाएगा कि मध्यस्थ ने उस तारीख को संदर्भ में प्रवेश किया है जब वह दोनों पक्षों को नोटिस जारी करता है, जिसमें उन्हें मामले के अपने बयान और बचाव में दलीलें प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है।

यदि मध्यस्थ के नोटिस के बावजूद कोई भी पक्ष कार्यवाही में भाग लेने में विफल रहता है,तो मध्यस्थ एकपक्षीय रूप से मध्यस्थता के साथ आगे बढ़ सकता है।

मध्यस्थ, समय-समय पर, पार्टियों की सहमति से, फैसला देने और प्रकाशित करने के संदर्भ में प्रवेश की तारीख से एक वर्ष तक का समय बढ़ा सकता है , लेकिन अधिकतम एक वर्ष तक।

मध्यस्थ अपना अधिनिर्णय अपने निर्देश पर दर्ज करने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर या विस्तारित समय के भीतर, जैसा भी मामला हो, उसे निर्दिष्ट किए गए सभी मामलों पर देगा और विवाद की प्रत्येक व्यक्तिगत वस्तु पर अलग-अलग दिए गए राशियों के साथ अपने निष्कर्षों को इंगित करेगा।

मध्यस्थता का स्थान ऐसा स्थान या स्थान होंगे जो मध्यस्थ द्वारा अपने विवेक से तय किया जा सके।

मध्यस्थ का निर्णय अंतिम होगा और अनुबंध के दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा। "

- 4. पार्टियों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ और आवेदकों ने दिनांक 15.05.2023 को नोटिस जारी करके मध्यस्थता खंड लागू किया।
- 5. चूंकि मध्यस्थ की नियुक्ति उत्तरदाताओं द्वारा नहीं की गई थी, इसलिए, आवेदकों ने मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए इस न्यायालय से संपर्क किया है।
- 6. श्री विनय कुमार, गैरीसन इंजीनियर प्रोजेक्ट, एमईएस, देहरादून द्वारा एक जवाबी हलफनामा दायर किया गया है। प्रतिवादी न तो मध्यस्थ विवाद के अस्तित्व पर विवाद करते हैं और न ही वे मध्यस्थता खंड के अस्तित्व से इनकार करते हैं। जवाबी हलफनामे में उनके द्वारा लिया गया एकमात्र रुख यह है कि उन्हें अनुबंध की सहमत शर्तों के अनुसार एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करने का अधिकार है। प्रति शपथपत्र के पैरा नं 8 में की गई दलील नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:
- "8. कि मध्यस्थता आवेदन के पैराग्राफ 13 की सामग्री के जवाब में, यह प्रस्तुत किया गया है कि 15 मई 2023 के कानूनी नोटिस का जवाब पत्र

दिनांक 29.08.2023 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। दिनांक 29.08.2023 के पत्र की प्रति इसके साथ दाखिल की जा रही है और इस प्रतिशपथ पत्र में अनुलग्नक संख्या सीए-4 के रूप में चिह्नित की गई है।

यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्ति के लिए प्रस्तावित दो नाम स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि समझौते में एक मध्यस्थता खंड है जो यह प्रदान करता है कि "अनुबंध के पक्षों के बीच सभी विवाद (उनके अलावा जिनके लिए सीडब्ल्युई या किसी अन्य व्यक्ति का निर्णय अनुबंध द्वारा अंतिम और बाध्यकारी माना जाता है), इंजीनियरिंग में डिग्री या समकक्ष या सर्वेक्षणकर्ताओं के संस्थान के उपखंड II की अंतिम/प्रत्यक्ष अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले या (भारत) भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, निविदा दस्तावेजों में उल्लिखित प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किए जाने वाले. दोनों में से किसी भी पक्ष द्वारा लिखित सूचना के बाद, उनमें से दूसरे को एकल मध्यस्थ को भेजा जाएगा।

तदनुसार एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए विवरण इंजीनियर-इन-चीफ की शाखा नई दिल्ली को मुख्यालय बरेली जोन बरेली के माध्यम से पत्र संख्या 886337/280 E8 दिनांक 31 अगस्त 2023 के माध्यम से संसाधित किया गया है। 31 अगस्त 2023 के पत्र की प्रति इसके साथ दाखिल की जा रही है और इस प्रति शपथ पत्र में अनुलग्नक संख्या सीए-5 के रूप में चिह्नित की गई है।"

7. यह न्यायालय आवेदकों के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए तर्क में तथ्य पाता है कि धारा 12 (5) में आइटम संख्या 1 के साथ पढ़े गए प्रावधान के मद्देनजर मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की सातवीं अनुसूची के अनुसार, उत्तरदाता सैन्य इंजीनियरिंग सेवा के एक सेवारत अधिकारी

को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त नहीं कर सकते हैं। अन्यथा भी, उत्तरदाताओं ने मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए आवेदक द्वारा किए गए अनुरोध का जवाब नहीं दिया, इसलिए, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 (6) के तहत आवेदन दाखिल करने के बाद, अब उनके लिए अपनी पसंद के मध्यस्थ को नियुक्त करने में बहुत देर हो चुकी है।

8. तदनुसार मध्यस्थता आवेदन की अनुमित दी जाती है। मैं, श्री राम सिंह, जिला न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) को उपरोक्त समझौते से उत्पन्न होने वाले पक्षों के बीच सभी विवादों, दावों और प्रतिदावों पर निर्णय लेने के लिए एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करता हूं। विद्वान मध्यस्थ कार्यवाही को वर्चुअल कोर्ट के द्वारा भी संचालित कर सकता है।

(मनोज कुमार तिवारी, ए. सी. जे)

01.12.2023 नवीन